TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
PART II, SECTION 3, SUB SECTION(1) ~~DATED~~

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 25th October, 2000

NOTIFICATION

G.S.R. .... In exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members namely:-

1. Short title and commencement - (1) : These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority(Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(b) Words and expressions used herein but not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay .- (1) The pay of a Chairperson shall be rupees twenty six thousand per month (fixed) as admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) The pay of the whole-time member shall be in the scale of pay of Rs.22400-525-24500.

(3) The pay of the Chairperson and whole-time member shall be fixed in accordance with the orders of the Central Government :

Provided that in case a person appointed as the Chairperson or a whole-time member is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

4. Provident Fund, Pension and Gratuity.- (1) The Chairperson and whole-time members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules, 1962 and no option to subscribe under General Provident Fund Rules, (Central Services) 1960 shall be available.

(2) The additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Authority.

5. Dearness Allowances and City Compensatory Allowance.- The Chairperson and whole-time members shall receive dearness allowance and city compensatory allowance and other allowances at the rate admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay..

6. Travel Allowance.- (1) The Chairperson and whole-time members while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken by self and family) to join the Authority or on the expiry of term with the Authority to proceed to his home town with family, shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same scales and rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

(2) The foreign tours to be undertaken by the Chairperson or whole-time members shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government as are applicable to Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

Provided that the foreign tours of the Chairperson or whole-time members for official purpose shall be approved by the Authority.

7. Accommodation .- (1) The Chairperson or any whole-time member shall not be eligible to allotment of any house for their residence from the general pool of accommodation or any other accommodation admissible to officers of Central Government.

(2) The Chairperson and the whole-time members shall have the option of claiming of house rent allowance for the residence located in Delhi or in one of the satellite towns surrounding the National Capital Territory of Delhi as admissible to a Central Government Officer of equivalent rank.

(3) In case, the Chairperson or whole-time members opt for leased accommodation in one of the satellite towns surrounding the National Capital Territory of Delhi, the Chairperson and whole-time members shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built-up area measuring around 300 sqm. for members and 350 sqm. for the Chairperson with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulations of the concerned municipal bodies.

8. Sumptuary Allowance.- The Chairperson and whole-time members shall not be entitled to Sumptuary Allowance.

9. Medical Facilities.- The Chairperson and whole-time members shall be entitled to medical treatment and facility as provided in the Central Government Health Service Scheme for retired Government servants :

Provided that at places where the Central Government Health Services Scheme is not applicable, the Chairperson and whole-time members, who are

not Government servants shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

242

10. Transport.- The Authority shall not purchase any passenger vehicle for the use of the Chairperson and members:

Provided that the Chairperson and whole-time members shall be eligible for fixed reimbursement of an amount not less than rupees three thousand and an amount not exceeding rupees five thousand per month including salary of a driver, if any, employed by such Chairperson or whole-time members for the usage and maintenance of his personal car for transportation between residence and office.

11. Leave.- (1) A Chairperson or whole-time member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during the leave shall be governed under the provisions of rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson or whole-time member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time.

12. Leave sanctioning Authority.- (1) The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to a whole-time member.

(2) The President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

13. Terms and conditions of service of part-time members.-

(1) A part-time member shall hold office for a period, not exceeding five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a part-time member may: -

(a) relinquish his office by giving in writing to the Central Government notice of not less than three months; or

(b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)

(3) No part-time members shall be removed under clause (d) or clause (e) of sub-rule (1) of section 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999(41 of 1999) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A part-time member appointed to fill up a casual vacancy, shall hold office for the remainder period of the term of the part-time member in whose place he is appointed.

2431

(5) A part-time member shall be entitled to receive such allowance by way of a fee of rupees one thousand only for each meeting of the Authority attended by him.

(6) A part-time member, while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Authority) shall also be entitled to traveling allowance and daily allowance at the same rates and are applicable to him if he is in Government Service or to an Additional Secretary to the Government of India if he is not in Government Service.

14. Other conditions of service.- Other conditions of service of a Chairperson and a member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be such as or admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay including Central Government Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

15. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government.

(F.No. 8/25/99-Ins.VI)

Ajit Sharan

(AJIT M. SHARAN)
Joint Secretary to the Government of India
25-10-2000

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बीमा प्रभाग

....

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000

अधिसूचना

सा०का०नि०......बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधनों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ --(1) : इन नियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) से है ।

(ख) इसके अन्तर्गत जो शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयुक्त की गयी हैं लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया है उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए निर्धारित किए गए हैं ।

3. वेतन :-(1) अध्यक्ष का वेतन छब्बीस हजार रुपए (नियत) प्रतिमाह होगा, जैसाकि भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य है ।

(2) पूर्ण कालिक सदस्य का वेतन 22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान में होगा ।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य का वेतन केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

लेकिन, यदि अध्यक्ष या पूर्ण कालिक सदस्य के पद पर नियुक्त हुआ कोई व्यक्ति किसी प्रकार की पेंशन ले रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति के वेतन

..../2-

में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि को घटा दिया जाएगा ।

4. **भविष्य निधि, पेंशन और उपदान:-** (1) अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और उन्हें सामान्य भविष्य निधि नियम, (केन्द्रीय सेवा) 1960 के अन्तर्गत अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं मिलेगा ।

(2) प्राधिकरण में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन और उपदान स्वीकार्य नहीं होंगे ।

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता :- अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्यों को महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता तथा अन्य भत्ते केन्द्र सरकार के वर्ग "क" के समकक्ष वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को स्वीकार्य दरों पर मिलेंगे ।

6. यात्रा भत्ता :- (1) अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्यों के भारत में दौरे पर होते हुए अथवा उनके स्थानान्तरण पर (उनके द्वारा स्वयं और परिवार द्वारा की गयी यात्रा सहित) प्राधिकरण में कार्यग्रहण करने हेतु अथवा प्राधिकरण में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर अपने परिवार सहित अपने गृह नगर को प्रस्थान करने के लिए केन्द्र सरकार के वर्ग "क" में समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को लागू होने वाली दरों और पैमानों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और उनकी व्यक्तिगत सामान की ढुलायी के लिए परिवहन भत्ता प्राप्त करने की हकदारी होगी ।

(2) अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्यों द्वारा किए जाने वाले विदेशी दौरे केन्द्र सरकार के वर्ग "क" में समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को लागू होने वाले केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार ही क्रियान्वित होंगे ।

लेकिन, अध्यक्ष अथवा पूर्ण कालिक सदस्यों द्वारा सरकारी प्रयोजनार्थ किए जाने वाले विदेशी दौरे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।

7. आवास :- (1) अध्यक्ष अथवा कोई भी पूर्ण कालिक सदस्य आवास के सामान्य पूल से अथवा केन्द्र सरकार के अधिकारियों को स्वीकार्य अन्य किसी आवासीय पूल से अपने निवास के लिए किसी मकान के आबंटन का पात्र नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य को केन्द्र सरकार के समकक्ष रैंक के अधिकारियों को यथा-स्वीकार्य दिल्ली में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस-पास के किसी उप-नगर में अवस्थित आवास के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(3) यदि अध्यक्ष अथवा पूर्ण कालिक सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस-पास के किसी उप नगर में लीज पर आवास के लिए विकल्प प्रस्तुत

...3/-

करता है तो अध्यक्ष अथवा पूर्ण कालिक सदस्य संबंधित नगर पालिका या निकाय के विनियमों के अन्तर्गत यथानुमत उपयुक्त खुले क्षेत्र के सम्पत्ति अधिकार सहित अध्यक्ष के लिए 350 वर्ग मीटर और सदस्य के लिए 300 वर्ग मीटर के लगभग निर्मित क्षेत्र सहित असज्जित आवास किराए पर लेने का हकदार होगा ।

8. व्यय संबंधी भत्ते :- अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य व्यय संबंधी भत्तों के हकदार नहीं होंगे ।

9. चिकित्सा सुविधाएं :- अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में यथा-प्रदत्त चिकित्सा उपचार और सुविधाओं के हकदार होंगे ।

लेकिन, ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना व्यवहार्य नहीं है, वह अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथा-प्रदत्त सुविधाओं के हकदार होंगे ।

10. परिवहन - प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यों के उपयोग के लिए कोई यात्री वाहन की खरीद नहीं करेगा ।

बशर्ते कि अध्यक्ष तथा पूर्ण कालिक सदस्य किसी ऐसी निश्चित प्रतिपूर्ति की राशि हेतु पात्र हों जो प्रतिमाह तीन हजार रुपए की राशि से कम नहीं तथा पांच हजार रुपए की राशि से अधिक न हो और इसमें ऐसे अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा आवास तथा कार्यालय के मध्य आने-जाने के लिए अपने निजी वाहन के उपयोग तथा रख-रखाव हेतु नियोजित किए गए वाहन चालक, यदि कोई हो, का वेतन भी शामिल हो ।

11. अवकाश :-(1) अध्यक्ष/अथवा पूर्ण कालिक सदस्य प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए तीस दिन का अर्जित अवकाश प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) अवकाश के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अन्तर्गत शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश का पचास प्रतिशत भाग का नकदीकरण करने हेतु हकदार होगा ।

12. अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी :- (1) अध्यक्ष किसी भी पूर्ण कालिक सदस्य के अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(2) भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष की अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

13. अंशकालिक सदस्यों की सेवा निबंधन तथा शर्तें :- (1) कोई भी अंशकालिक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पदधारण कर सकता है जो उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की समयावधि से अधिक न हो और वह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा ।

...4/-

§2§ उप-नियम§1§ में किसी बात के होते हुए भी, कोई अंशकालिक सदस्य:-

§क§ केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर जो तीन माह से कम न हो अपना पदभार छोड़ सकता है ; अथवा

§ख§ उसे बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 §1999 का 41§ की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है ।

§3§ किसी भी अंशकालिक सदस्य को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 §1999 का 41§ की धारा 6 के उप-नियम §1§ के खंड §घ§ अथवा §ड§ के अन्तर्गत तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।

§4§ आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु नियुक्त अंशकालिक सदस्य उस अंशकालिक सदस्य की शेष अवधि के लिए पदभार ग्रहण करता रहेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है ।

§5§ अंशकालिक सदस्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में जिसमें उसने भाग लिया है, मात्र एक हजार रुपए के रूप में ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

§6§ अंशकालिक सदस्य, जब वह दौरे पर हो §इसमें प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा भी शामिल है§ उसी दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो उसे सरकारी सेवा में, यदि होता तो, रहने की स्थिति में प्राप्त होता अथवा भारत सरकार के अपर सचिव को, यदि वह सरकारी सेवा में नहीं है, प्राप्त होता ।

14· सेवा की अन्य शर्तें :- अध्यक्ष तथा सदस्य की अन्य सेवा शर्तें जिनकी इन नियमों में स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, वैसी ही होंगी अथवा वैसी ही स्वीकार्य होंगी जो समकक्ष वेतन आहरण करने वाले केन्द्र सरकार के वर्ग "क" के अधिकारी के लिए हैं,इसमें केन्द्र सरकार सिविल सेवा §आचरण§ नियम, 1964 भी शामिल

15· निर्वचन -- यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा ।

अ. शरण

§अजित एम० शरण§
संयुक्त सचिव,भारत सरकार
25-10-2000

फा०सं० 8/25/99-बीमा-IV